

डाउ - चालान दिनांक २३-६-२०२१

सेवा में,

उप वन संरक्षक

वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

जनपद रुद्रप्रयाग - No- ११६ (लोन प्रतियोगी) /

११७ (—४०—) /

२३/०६/२०२१



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई(सिं.ख.) रुद्रप्रयाग।

पत्रांक:- 917 / पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रुद्रप्रयाग / व0भू0

दिनांक 29 / 06 / 2021

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
वन प्रभाग रुद्रप्रयाग,
जनपद रुद्रप्रयाग।

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक- 08बी/यू0सी0पी0 / 06 / 10 / 2020 / एफ0सी0 / 1029 दिनांक 25-08-2020

महोदय,

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग पर Online Proposal No-FP/UK/ROAD/40174/2019 प्रस्ताव पर 1.501 है0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु उल्लेखित शर्तों की संशोधित परिपालन आख्या निम्नानुसार है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जायेगी।
2. उक्त शर्त का अनुपालन वन विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा किया जाना है।
3. (क) उक्त शर्त का अनुपालन वन विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा किया जाना है।
(ख) क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभियकरण की लागत पर 2.912 हे0 ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या-60 के खसरा नं0 278 रकवा 2.50 हे0 तथा खसरा नं0 1369 रकवा 0.700 हे0 मध्ये 0.412 हे0 अर्थात् कुल रकवा 2.912 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। (संलग्न)
(घ) उक्त शर्त का अनुपालन वन विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा किया जाना है।
4. (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या- 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30-10-2020, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18-09-2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03-10-2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 2.3445 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा करा दिया गया है (छाया प्रति संलग्न)।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी (प्रमाण-पत्र संलग्न)।
5. परियोजना से हस्तान्तरित होने वाली भूमि 1.501 है0 के एवज में 2.912 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या-60 के खसरा नं0 278 रकवा 2.50 हे0 तथा खसरा नं0 1369 रकवा 0.700 हे0 मध्ये 0.412 हे0 अर्थात् कुल रकवा 2.912 हे0 भूमि में किया जायेगा, जिसका योजना नक्शा, KML फाईल पार्ट-1 में ऑनलाईन किया जा चुका है।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम करेगा। जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 29 Trees including 01 saplings होगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा कर दी गयी है।
7. अनुपालन वन विभाग द्वारा किया जाना है।
8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा करा दिया गया है (छाया प्रति संलग्न)।

क्रमशः 2

9. एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
10. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगा दिये जायेंगे।
11. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की इस प्रस्ताव में आवश्यकता नहीं है।
12. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
15. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करवाया जायेगा।
16. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या- 42/2017-FC दिनांक 29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई की जायेगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वनन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
21. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर मलबे का निस्तारण किया जायेगा व अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे नहीं गिराया जायेगा। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं दी जायेगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ले ली जायेगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

अतः परिपालना आख्या विधिवत् स्वीकृति की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न - उपरोक्तानुसार। (तीन प्रतियाँ हैं)

अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक:- /पी.एम.जी.एस.वाई. (सि.ख.) रुद्रप्रयाग/व0भू0 तददिनांक।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग।

Online payment history made by User Agency under CAMPA



Sal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
ROAD/37562/2018 Viewreport.aspx? UK/ROAD/37562/2018) Payag pokhari KM 1.0 Mr to falashi	ROAD375622018214	6137562214	28 Aug 2020	CA: 1581056/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 1540337/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3121393/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 09 Sep 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 09 Sep 2020 Transaction Date : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/91181253) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp pld=ROAD375622018214)
ROAD/38416/2019 Viewreport.aspx? UK/ROAD/38416/2019) Shi to Byunkel Motor	ROAD384162019558	6138416558	06 Jul 2020	CA: 1835967/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 2300513/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4136480/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 27 Jul 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 09 Oct 2020 Transaction Date : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/71118122) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp pld=ROAD384162019558)
UK/ROAD/40174/2019 Viewreport.aspx? UK/ROAD/40174/2019) struction of Javri to and (extension Ajalpur to dia) MR	ROAD401742019091	6140174091	25 Aug 2020	CA: 981880/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 986157/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1968037/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 09 Sep 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 09 Sep 2020 Transaction Date : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/91181249) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp pld=ROAD401742019091)
UK/ROAD/38306/2019 Viewreport.aspx? UK/ROAD/38306/2019) struction of Raintoll Jasoli grawu MR	ROAD383062019108	6138306108	04 Feb 2020	CA: 4916757/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 6776900/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 11693657/-	☒ Paid	Not Done	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2111212321222DPNMLde
UK/ROAD/38307/2019 Viewreport.aspx? UK/ROAD/38307/2019) struction of Gulabral Toona Motor Road Km.2.00 to Shingwar Motor Road	ROAD383072019566	6138307566	18 Jun 2020	CA: 2975312/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 3728140/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6703452/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 30 Jun 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 02 Jul 2020 Transaction Date : 05 Aug 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/6113012191214RUWEACH Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp pld=ROAD383072019566)

:: आदेश ::

अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०खं०) रुद्रप्रयाग के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु 1.501 हे० भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.912 हे० भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण पर उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या- 08/र०का०-क्षति०वृ०/(2020-21) दिनांक 18 अप्रैल, 2021 को अग्रसारित करते हुये अवगत कराया है कि जाबरी-जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 हे० वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज०वि०र० खतौनी खाता संख्या- 60 के खसरा सं० 278 रकवा 2.500 हे० तथा खसरा संख्या- 1369 रकवा 0.700 हे० मध्ये 0.412 हे० अर्थात् कुल रकवा 2.912 हे० भूमि श्रेणी-9(3)(ड़) बंजर श्रेणी की भूमि चयनित कर चयनित भूमि का नक्शा, खसरा वं खतौनी की नकल प्रस्तुत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज०वि०र० खतौनी खाता संख्या- 60 के खसरा सं० 278 रकवा 2.500 हे० तथा खसरा संख्या- 1369 रकवा 0.700 हे० मध्ये 0.412 हे० अर्थात् कुल रकवा 2.912 हे० भूमि श्रेणी-9(3)(ड़) बंजर श्रेणी की चयनित भूमि उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/ नामान्तरित एवं अमलद्वारामद करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक-04-06-2021

ह०/-

(मनुज गोयल)

जिलाधिकारी,

रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 4085 / छब्बीस-19 / 2020-21 / दिनांक: रुद्रप्रयाग: जून, 05 2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव राजस्व विभाग अनुभाग-02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
- 7- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल वन विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- 8- अधिशाली अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई.(सि०खं०), रुद्रप्रयाग।

अपर, जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

(नमूना अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Rudrapur

No.

Dated

22-02-19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that 1.54 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of IRR Div PMGSY, Rudraprayag for the Construction of JAVRI TO JAIKANDI(AJAYPUR TO KAKOLA) MOTOR ROAD (3.00 Km) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Jaikand village in Ukhimath tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.54 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above



Signature

(Full name and official seal of the District Collector)